



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12082026-275417
CG-MH-E-12082026-275417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]
No. 495]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक
(केंद्रीय कार्यालय, मुंबई)
अधिसूचना
मुंबई, 28 जुलाई, 2026

फा. सं. विवि.एलआईसी.सं. एस3539/22-03-070/2026-27.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को शामिल करने का निदेश देता है।

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./264/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA**(Central Office, Mumbai)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th July, 2026

F. No. DoR.LIC.No.S3539/22-03-070/2026-27.— In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of the **Coastal Local Area Bank Limited** in the Second Schedule to the said Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./264/2026-27]